हिमाचल प्रदेश सरकार

निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन

हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2016–17

निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

अनुक्रमणी

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1
2.	निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा	1
3.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (मैनेजमैंट एंड हैंडलिंग) नियम, 1988.	2
4.	सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार का विनियमन व निषेधक अधिनियम, 2003 और इसके तहत बनाए गए नियम)।	3–7
5.	विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995.	8–9
6.	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994	9
7.	क्लिनिकल स्थापना (पंजीकरण व विनियमन) अधिनियम, 2010	9
8.	गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.	9–11
9.	खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवम् नियम, 1955 (अब खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006)।	12–13
10.	औषधि एवम् प्रसाधन नियम, (कॉस्मैटिक) सामाग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945.	14–15
11.	एटॉमिक ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विकिरण संरक्षण नियम, 1971	16
12.	निजी स्वास्थ्य संस्थानों के एम्पैन्लमैंट बारे	16
13.	संयुक्त जांच प्रयोगशाला, कण्डाघाट, जिला सोलन	16–17
14.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	17–20

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2015–2016 निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

1. परिचय :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या हैल्थ–ए–बी (12)1/2002 दिनांक 1 जून, 2009 के अनुसार एक अलग स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय बनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में विभिन्न अधिनियमों/नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। वर्तमान में यह निदेशालय निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों का कार्य संचालन कर रहा हैः–

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम, 1988
2. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन, व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, 2003 व उसके तहत दिनांक 30–5–2008 को बनाए गए नियम को लागू करना)।
3. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995
4. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
5. हिमाचल प्रदेश क्लिनिकल स्थापना पंजीकरण अधिनियम,
6. गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994.
7. खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006.
8. औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945
9. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विकिरण संरक्षण नियम, 1971
10. निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एम्पैनलमैंट
11. संयुक्त जांच प्रयोगशाला, (सी0टी0एल0) कण्डाघाट
12. कर्मचारी राज्य बीमा योजना

2. कर्मचारियों की स्थिति.––निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवम् विनियमन में श्रेणीवार कर्मचारियों की स्थिति वर्ष 2016–2017 दिनांक 31.03.2017 तक निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1.	निदेशक	1	1	0	
2.	ओ.एस.डी.	2	2	0	
3.	सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)	1	1	0	पद का सृजन ESI में है।
4.	विकिरण सुरक्षा अधिकारी।	1	0	1	–
5.	सहायक औषधि नियंत्रक।	1	0	1	–
6.	विधि अधिकारी	1	1	–	–
7.	अधीक्षक श्रेणी-II	2	2	0	–
8.	वरिष्ठ सहायक	2	2	0	–
9.	लिपिक/कनिष्ठ सहायक	5	2	3	–
10.	चालक	1	1	–	–
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	5	0	तीन पद पर स्थाई कर्मचारी तथा दो पद आउट सोर्स से भरे हुए हैं।

कार्य का ब्यौरा :

अधिनियमवार वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए कार्य/उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और जैव चिकित्सा अपशिष्ट (मैनेजमैंट एंड हैंडलिंग) नियम, 2016:

राज्य में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जैव चिकित्सा अपशिष्ट मैनेजमैंट एंड हैंडलिंग) नियम, 1988 के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उक्त अधिनियम को अधिक प्रभावक व सुधार हेतु अमल में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा पुनर्विलोकन किया गया तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.03.2016 के तहत जैव चिकित्सा अपशिष्ट मैनेजमैंट नियम, 2016 जारी किए गए हैं। जिसे प्रदेश सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड एक विनियामक संस्था है।

निम्नलिखित दर्शाई गई फर्मों को हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के एकत्रीकरण व नष्ट करने हेतु प्राधिकृत किया है:–

क्रम संख्या	जिले का नाम	निष्पादन प्रक्रिया		सुविधा साधन
		ग्रामीण	शहरी	
1.	चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना।	जमीन में गहरा दबाकर	Surksha Bio, Sanitizer, Village Dugiari, P.O. Gagret, Tehsil & Distt. Kangra	इनसिनिरेटर
2.	मंडी, बिलासपुर		M/S Enviro Engineers, Biomedical Waste Treatment facility, Sandli, P.O. Bathalang (Palania) Tehsil Arki, District, Solan, H.P.	इनसिनिरेटर
3.	कुल्लू		M/S Enviro Engineers Pirdi Kullu	इनसिनिरेटर
4.	सिरमौर		M/S Enviro Engineers Pirdi Kullu	इनसिनिरेटर
5.	सोलन		M/S Enviro Engineers, Biomedical Waste Treatment facility, Sandli, P.O. Bathalang (Palania) Tehsil Arki, District Solan, H.P.	इनसिनिरेटर
6.	शिमला		M/S Enviro Engineers, Biomedical Waste Treatment facility, Sandli, P.O. Bathalang (Palania) Tehsil Arki, District Solan, H.P.	इनसिनिरेटर
7.	किन्नौर और लाहौल स्पिति।		जमीन में गहरा दबाकर	–

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में आमजैव चिकित्सा अपशिष्ट सुविधा प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित बजट आबंटित किया गया है:–

क्र0 सं0	बजट प्रकार	आबंटन
1	0-2210-01-110-07-soon- 20-N-V-अन्य प्रभार	62.98 Lakh
2.	0-2210-01-110-07-soon- 31-N-V- यन्त्र एवं उपकरण	9.23 Lakh
3.	0-2210-01-110-07-soon- 33-N-V- समग्री एवं आपूर्ति	27.07 Lakh

4. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार का विनियमन व निषेधक अधिनियम 2003 और इसके तहत बनाए गए नियम) :

- तम्बाकू पूरे विश्व में प्रयोग होने वाला नशीला पदार्थ है ।
- तम्बाकू अफीम, चरस, गांजा जैसा ही नशीला व मादक पदार्थ है ।
- तम्बाकू के शुरू करने वालों की उम्र सामान्यतः स्कूली बच्चों की उम्र होती है ।
- तम्बाकू के प्रयोग की शुरूआत यारी दोस्ती से, घर में नशा करने वालों, फिल्म स्टार व किसी प्रसिद्ध व्यक्तिव के प्रभाव से होती है।
- तम्बाकू का प्रयोग करने से वह बच्चा या व्यक्ति दूसरे नशों का प्रयोग आसानी से कर लेता है।
- तम्बाकू के प्रयोग से जहां व्यक्ति उसका आदी हो जाता है वहीं दूसरी ओर भयानक बिमारियों का शिकार भी हो जाता है ।
- धुम्रपान के धुए से सबसे अधिक नुकसान आस–पास के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं को होता है।
- धूम्रपान व तम्बाकू से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य ने तम्बाकू नियन्त्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसके अतिरिक्त एंटी तम्बाकू जागरूकता व तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003(COTPA) हिमाचल प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
  - COTPA कानून के तहत तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य नें राज्य व जिला स्तरीय समितिया अधिसूचित कि हैं जो समय–समय पर इन कार्यक्रमो व कानूनों का विश्लेषण करते हैं।
  - धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध)के प्रभावी कार्यान्वन को प्रदेश के सभी विभागों में सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारतवर्ष में सबसे सरल व प्रभारी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य, जिला व खण्ड स्तरीय उड़नदस्तों का गठन किया गया है।
  - हर वर्ष 31मई को राज्य, में "World No Tobacco Day" मनाया **जाता है, जिसका मुख्य उदेश्य लोगों में जागरूकता** फैलाकर **तंबाकू के दुष्प्रभावों को कम करना है।**
  - इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से IEC गतिविधियों का निष्पादन किया जाता **है। प्रदेश भर के लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में पंचायत स्तर तक** पोस्टरों, रेडियो पर विज्ञापन तथा नुक्कड़ नाटक द्वारा **आम जनता को जागरूक किया जा रहा है**।

तथा समस्त सार्वजनिक संस्थानों **के प्रभारियों को कानून के** प्रावधानों **के अनुसार धूम्रपान निषेध बोर्ड प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए गए हैं,** और उल्लंघन करने पर कार्रवाई हेतु भी अधिकृत किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

इस स्थान पर धूम्रपान करना अपराध है।

उलंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।

- COTPA कि धारा 6 के अंतर्गत 18 **वर्ष से कम उम्र के** युवाओं **को तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध ओर समस्त शिक्षण** संस्थानों **के प्रभारियों एवं प्रशासन शिक्षण** संस्थानों **के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए** हैं और उल्लंघन **करने** वालों **के खिलाफ कार्यवाई सुनिश्चित की जा रही है।**
- **2 अक्तूबर 2010 को शिमला शहर को** धूम्रपान **मुक्त शहर घोषित किया गया जो चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा धूम्रपान मुक्त शहर है। शिमला शहर को वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण के बाद** मानकों **पर पर खरा उतरने पर धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया है जो देश भर में प्रथम प्रयास है।**

<u>तम्बाकू नियंत्रण के लिये उठाए गए महत्वपूर्ण कदम :–</u>

- सरकार द्वारा खुली बीड़ी और सिगरेट के विक्रय पर अधिसूचना पत्र संख्या 17880–7374/2015 दिनांक 04/11/2015 के अंतर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया।
- शैक्षिणिक संस्थानों व व्यावसायिक स्थानों के सूचनार्थ (शैक्षिणिक संस्थानों के ओर 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है।

- भारत सरकार ने वर्ष 2003 में पूरे भारत वर्ष में नियंत्रण के लिए एक अधिनियम लागू किया जिसे सिगरे व अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण) अधिनियम ,2003 (कोटपा) के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की धारा 6 बी0 के अंतर्गत तक्षिक संस्थानो के आसपास तम्बाकू पदार्थों की बिक्रि को प्रतिबंधित किया गया है।
- इस अधिनियम के नियम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 सितम्बर 2004 को भारत के राजपत्र संख्या 379 द्वारा अधिसूचित किए गये ।इन अधिनिमों को 18 सितम्बर 2009 से 2009 से प्रभावी माना गया है।
- इस अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एंव विनियमन निदेशालय के सभी शैक्षिक संस्थानों व व्यावसायिक संस्थानों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में इस अधिनियम को पूरे प्रदेश में सख्ती से लागू किया जा रहा है। अतः सभी (सरकारी एवं निजी) शैक्षिक संस्थानों स्कूलों, कालेज, औद्योगिक संस्थान, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान कंप्यूटर एवं व्यवसायिक संस्थान आदि) के प्रमुख प्रबंधको से अनुरोध है कि वे अपने शैक्षिक संस्थानों में 15 जून से पहले निम्न अनुपालना सुनिश्चित करें।

(1) शैक्षिक संस्थान स्वामी या प्रबंधक मामलों का प्रभारी कोई व्यक्ति परिसर के बाहर किसी सहज दर्ष्य स्थान पर प्रमुख रूप से निम्न बोर्ड प्रदर्शित करेगा।

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अनराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।
आदेशानुसार
शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नामः
शिक्षण संस्थान का नाम :

(The owner or manger or any person in institution Shall display and exhibit a board at a conspicuous place(s) outside the premises, prominently stating that sale of cigarettes and other tobacco products in an area within a radius of one hundred yards of the educational institution strictly prohibited and that it is an offence punishable with the fine which may extend to two hundred rupees).

(2) एक सौ गज की दूरी शैक्षिक संस्थान की स्थितिए सीमा दीवार की बाहरी सीमाए बाड से नापी जाएगी।(Distance of one hundred yards shall be measured radically starting

from the other limit of boundary wall fence or as the case may be, of the educational institution).

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट http://www.hp.gov.in/dhsrhp/COTPA Signages.pdf और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय http://www.mohfw.nic.in/WriteReadDate/1892/file30-81207361.pdf पर लॉग इन करें।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अप्रैल 2012 को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से सभी शिक्षण संस्थानों के लिए दिशा निर्देश इस वेबसाइट से http://edudel.nic.in/upload 2011 12/375 dt 05072012.pdf प्राप्त किए जा सकते हैं।

नोटः दस समयावधि के समाप्त होने के उपरांत अभिलघन करने वाले स्थानों संचालको अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने व शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे के अन्दर तम्बाकू बेचने पर पुलिस कांस्टेबल एवम् उनसे उपर के समस्त पुलिस अधिकारियों को कार्यवाई के लिए प्राधिकृत करना ।
- कानून की अवहेलना करने पर प्राप्त जुर्माने की राशि तम्बाकू विरोधी मुहिम के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया । प्रतिवर्ष ग्राम सभाओं में तम्बाकू नियन्त्रण एवं नशा विरोधी मुहिम पर विशेष चर्चा करवाने हेतू आदेश दिये गए हैं।
- तम्बाकू उत्पादों में टैक्स बढ़ाकर तम्बाकू की खपत में कमी सुनिश्चित करना। ताशीजोंग गांव जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश का प्रथम तम्बाकू मुक्त गांव घोषित किया गया है।
- **प्रदेश में लगातार जागरूकता व कानूनी कार्यवाई सुनिश्चित की गई और समय-समय पर सर्वेक्षण करवाए गए तथा इस कड़ी में मई 2011** से **प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को धूम्रपान निषेध कानून की अनुपालना करने पर प्रत्येक जिला मुख्यालय स्मोक फ्री घोषित किया गया** ।

Distt. Headquarters with the compliance > 80% qualifies as SMOKE FREE as per Survey report

- **हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम व कानून के सभी पहलुओं पर** कार्यवाही **सुनिश्चित की गई है । धारा 4 व धारा 6 के साथ धारा 5 (तंबाकू प्रदार्थों के विज्ञापन पर प्रतिबंध एवं धारा 7 (बिना चेतावनी के तंबाकू प्रदार्थ बेचने पर प्रतिबंध) के अंतर्गत** कार्यवाही **शुरू की गई है** और **देश में सर्वप्रथम** कार्रवाई **करने** के **मामले अदालत में भेजे गए हैं । परिणामस्वरूप धारा 5 व धारा 7 में** कार्यवाही **करने पर** ऐच्छिक **परिणाम हासिल करने वाला पहला राज्य बना है।**

- **31.5.2012 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने व उसके सकारात्मक परिणाम आने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डब्ल्यू0एच0ओ0-दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय पुरस्कार-2012 से सम्मानित किया गया।**
- **प्रदेश भर में गुटका,** खैनी इत्यादी **के विक्रय पर FSSA Act 2006 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, तथा इस के विक्रय करने वाले के खिलाफ FSSA Act 2006 के तहत दंडनात्मक** कार्रवाई **की** जाती हैं।
- **ताशी जोंग गाँव (बैजनाथ) जिला कांगड़ा को प्रदेश का प्रथम तंबाकू मुक्त गाँव घोषित किया गया है तथा उक्त गाँव को इस कार्य हेतु पुरस्कृत किया है।**
- हिमाचल प्रदेश को 3.7.2013 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर धारा (4) COTPA के अन्तर्गत धुम्रपान रहित राज्य घोषित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष का सिक्किम के बाद दुसरा धुम्रपान रहित राज्य घोषित कर दिया गया है।
- जिला मण्ड़ी में एक मुकदमें के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 15. 11.2014 को दोषी करार किया गया है The culprit was retained till the raising of Hon'ble court .
- हिमाचल प्रदेश प्रथम ऐसा राज्य है जहाँ पर दिनांक 01.03.2013 को दोषी को धारा (7) COTPA के अंतर्गत दोषी पाया गया और जुर्माना भी लगाया गया ।
- हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के आधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करने की अधिसुचना सरकार द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 को कर दी गई है।

Reports of Violations of COTPA 2003 & Fine in HP (2014-17) (Three years)

No. of violations reported for the financial years.	Total Challan	Fine collected INR	Remarks
2013-14	20474	23.84	
2014-15	26895	32.10	
2015-16	44392	47.39	
2016-17(1.4.2016 to 31.3.2017)	**46258**	**75.52**	

5. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995:

- इस विधेयक का उद्देश्य केन्द्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय करना है जिसमें विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करना, सुविधाएं सृजित करना और समर्थन देना ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के समान अवसर पा सकें।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं की योजना बनाने में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय केन्द्र व राज्य दोनों में नोडल मंत्रालय के रूप में स्थापित है।
- चिकित्सा जिम्मेदारी घटक का कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विकलांगता की रोकथाम व इसके जल्द पता लगाने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तुरन्त हस्तक्षेप के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:–

(1) **प्राथमिक रोकथाम** : मां और बच्चे की देखभाल के उपाय एनएचएम द्वारा किए जा रहे हैं।

(2) **माध्यमिक रोकथाम** : प्रारम्भिक चरण में स्वास्थ्य संस्थानों में कुशल मानव बल (मैन पावर) को प्रतिनियुक्त करके व आधारभूत ढांचे को सृजित करके बीमारी की गति को रोकने व जटिलताओं की रोकथाम को सुनिश्चित किया जा रहा है।

(3) 0–12 वर्ष के बच्चों, जो कि कुल जनसंख्या का 25% है, की स्क्रीनिंग हर साल की जा रही है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उप मण्डल स्तर व स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिल कर विकलांगता शिविरों का आयोजन करें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से जल्द से जल्द संदिग्ध मामलों का पता लगाए तथा पता लगने पर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र विशेषज्ञों के पास भिजवाना सुनिश्चित करें।

(4) जिला स्तर पर हर महीने के निर्धारित दिनों में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

(5) सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओ0पी0डी0 में विकलांग व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर देखें। अस्पतालों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप का निर्माण किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में पहिया कुर्सियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

(6) विकलांग व्यक्तियों के जीवन सुधार हेतु कई प्रकार की सुविधाओं जैसे कि प्रोस्थैटिक कृत्रिम अंग, सुनने की मशीन, बोलने की चिकित्सा पद्धति और सुधारात्मक सर्जरी आदि की सिफारिश की जा रही है।

(7) इस बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों व गांव स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित किया जा रहा है।

(8) दुर्घटना उपरान्त पूर्ण रूप से विकलांग होने पर उस संस्थान के डाक्टर जहां रोगी उपचाराधीन है, की रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। यह मामला एस. सी., एस. टी., ओ. बी. सी. एवम् अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के समन्वय से सरकार को भेजा गया है व प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल करने का प्रावधान है। यह सिफारिश की गयी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थान इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करें, जिसमें चिकित्सक को स्पष्ट रूप से विकलांगता नजर आती हो जैसे कि किसी अंग का बिल्कुल काम न करना या अंगहीन होना इत्यादि।

(9) प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में विकलांग जन हेतु बाधा रहित रास्ता बनाने के लिए निर्देश दिये गए हैं और भवन निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये हैं।

6. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 :

राज्य स्तरीय समिति अधिसूचित की गई है। इसके अध्यक्ष प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला हैं।

इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रदेश में एक नेत्र बैंक IGMC Shimla में कार्यरत है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में एक–एक Eye Donation Centre और RPGMC Tanda esa Eye Bank स्थापित किया जा रहा है। यह बात गौर तलब है कि राज्य में कोर्निया ट्रांसप्लांट की एक मात्र ट्रांसप्लांट सर्जरी की जा रही है। इसको बेहतर बनाने हेतू प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत सभी Eye Surgeons/Ophthalmic Assistants का IGMC Shimla में Cornea Transplant का 3 दिन का प्रशिक्षण करवाया जा चुका है और साथ ही NHM द्वारा हर जिले को 1–1 लाख रुपये तथा RPGMC Tanda को 12 लाख रूपये eye donation centre तथा Eye Bank शुरू करने हेतु दिये गए हैं।

7. क्लीनिक स्थापना (पंजीकरण व विनियमन) अधिनियम, 2010:

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28–08–2012 के आदेश के अन्तर्गत क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण व विनियमन अधिनियम, 2010 (2010 का 23) को राज्य में लागू किया गया है जिसके अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का अस्थाई रूप से पंजीकरण का कार्य केवल ऑन लाईन तरीके से ही किया जा रहा है।

प्रदेश में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दर्शाई गई सूचना के अनुसार मार्च 2017 तक लगभग 6204 सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को अस्थाई रूप से पंजीकृत कर दिया गया है तथा वर्ष के दौरान लगभग मु0 13,35,523/– की राशि गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई है।

8. गर्भाधारण पूर्व प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994. के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में की गई कार्रवाई :–

1. राज्य में 31–03–2017 तक 270 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पंजीकृत है, जिन में से 87 सरकारी व 183 निजी क्लिनिक हैं।
2. जिला एपरोप्रिएट एथोरिटी द्वारा अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की नियमित जांच की जा रही है।
3. सरकार ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की नियमित जांच करने के लिये प्राधिकृत किया है। हर पंजीकृत अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की कम से कम तीन महीनों में एक जांच सुनिश्चित करना CMO-*cum*-District Appropriate

Authority के लिये अनिवार्य है। इसके अलावा राज्य स्तरीय निरीक्षण एंव समिति गठित की गई है जो समय–समय पर अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जांच करती है और अनियमितता पाने पर आवश्यक कार्यवाही के आदेश देती है।

4. राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड व राज्यसलाहकार समितियां गठित की गई हैं जिनकी बैठकें अधिनियम के अनुसार समय – समय पर की जा रही हैं।
5. वर्ष 2016–17 में सरकार द्वारा गठित राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड की माननीय स्वास्थ्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में एक बैठक व राज्यसलाहकार समिति की निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन की अध्यक्षता में दो बैठकें की गई।
6. सरकार द्वारा बेटियों को बढ़ावा देने हेतू व कन्या भ्रूणहत्या को रोकने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न आई0ई0सी0 गतिविधियॉ की गई।
7. जिला एपरोप्रिएट एथोरिटी द्वारा वर्ष 2016–17 में 824 अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के निरीक्षण किये गये हैं,। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दूर करने हेतू अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के मालिकों को उचित निर्देश भी दिए गए हैं।
8. National Inspection and Monitoring Committee (NIMC) ने हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना व सोलन में दिनांक 02 से 04 नवम्बर, 2016 को पंजीकृत अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के निरीक्षण के दौरान कुछ अनियमितताएं पाई जिनके चलते जिला एपरोप्रिएट एथोरिटी द्वारा जिला ऊना में 01 क्लिनिक का पंजीकरण निलम्बित करके मामला न्यायालय में दर्ज कर दिया व जिला सोलन में 02 क्लिनिकों का पंजीकरण अस्थाई तौर पर निलम्बित किया।
9. वर्ष 2016–17 में राज्य में 01 अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का पंजीकरण निलम्बित व 02 अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों को पी.सी एवम् पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के उल्लंघन में सील करके पंजीकरण अस्थाई तौर पर निलम्बित किया।
10. वर्ष 2016–17 में राज्य में पी.सी एवम पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के उल्लंघन में दो मामले जिला कुल्लू व ऊना में न्यायालय में दर्ज किए गए।
11. केन्द्र सरकार ने लिंगानुपात असमानता की गंभीरता को देखते हुए "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम जो कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में तीन जिलो में जिला उना के साथ जिला कांगडा तथा जिला हमीरपुर को भी शामिल किया है।
12. राज्य में पी.सी एवम पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के उल्लंघन में छह मामले जिला शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व कुल्लू (2) में न्यायालय में दर्ज किए गए।
13. वर्ष 2016–17 में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के अंतर्गत जिला मंडी के द्रंग व सदर ब्लॉक में People Awareness for Rural Action Society (PARA) नाम के एन0 जी0 ओ0 द्वारा एक साल की अवधि के लिए विस्तृत जागरूक गतिविधियां करवाई गई। इस के अलावा राज्य में बाल लिंग अनुपात (सी0 एस0 आर0) में अध्ययन के संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के निदेशालय महिला अध्ययन और विकास केंद्र विभाग द्वारा अध्ययन किया गया।

बेटी बचाओ, देश बनाओ :

बेटी अनमोल है। आपका जीवन आपकी बेटी के बिना अधूरा है।

अजन्मे शिशु का लिंग जांच करना व करवाना अवैध है।

14. राज्य में इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बेटी को बढ़ावा देने हेतू दम्पत्ति को एक व दो लड़कियों के होने के उपरान्त नसबंदी/नलबंदी करवाने पर क्रमशः रूपये 35000/– व रूपये 25000/– की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
15. कन्या भ्रूणहत्या की जांच करने वाले क्लिनिकों की सूचना देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले नकद पुरस्कार की राशि रूपये 10,000/- से बढ़ाकर रूपये 1,00,000/- दिनांक 23.05.2016 से कर दिया है। ऐसे मुखबिरों की पहचान को गुप्त रखा जाता है।
16. विभाग की वेब साइट पर जिलावार अल्ट्रासाउंड मशीनों की सूची समय समय पर अद्यतन की जाती है।
17. राज्य एवं जिला स्तर पर सरकारी व निजी क्लिनिकों के मालिकों को पी.सी. एवम् पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाने हेतू जागरूकता अभियान/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। जिससे लिंग अनुपात सुधारने में बढ़ावा मिल रहा है।

9. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवम् नियम, 1955 (अब खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006) :

भारत वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवम् नियम, 1955 के रिपील होने के उपरान्त दिनांक 5–8–2011 से खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 लागू किया गया है जिसमें 101 धाराएं (Sections) हैं तथा 2 अनुसूचियां (Schedules) हैं।

खाद्य सुरक्षा :

हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु पुराने ढांचे को नए ढांचे में परिवर्तित करने हेतु निम्नलिखित वांछित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं :–

1. अधिसूचना संख्या' HFW-B(A)2-1/82-III dated 18–8–2011 द्वारा Principal Secretary (Health) to the Govt.of H.P. को Commissioner of Food Safety अधिसूचित किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या' HFW-B(A)2-1/82-III dated 18–8–2011 द्वारा Director Health Safety & Rgulation को Joint Commissioner Food Safety, Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या' HFW-B(A)2-1/82-III dated 18–8–2011 द्वारा Deputy Public Analyst, CTL Kandaghat को Analyst of Food Safety for Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या' HFW-B(A)2-1/82-III dated 18–8–2011 द्वारा ADMs को Adjudicating Officer under Food Safety for Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।
5. अधिसूचना संख्या' HFW-B(A)2-1/82-III dated 18–8–2011 द्वारा सभी जिलो में कार्यरत खाद्य निरिक्षकों को Food Safety Officer अधिसूचित कर दिया गया है।
6. वर्तमान में विभाग में खाद्य निरीक्षक/सुरक्षा अधिकारी 12 स्वीकृत पद हैं जिन में से 3 पद भरे हैं। प्रदेश में कार्यरत सभी खाद्य निरिक्षकों को खाद्य सुरक्षा एव् मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया गया है। यह प्रशिक्षण खाद्य सुरक्षा एवम् मानक प्राधिकरण भारत सरकार के अधिकारियों के माध्यम से करवाया गया।

7. गत वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करने के लिए विभाग में पदाभिहित अधिकारी के 12 पद सृजित किये गए हैं। जिन में से 6 खाद्य निरीक्षक/सुरक्षा अधिकारी पदोन्नति के उपरान्त और 6 सीधी भरती के द्वारा तैनात किए जा चुके हैं।

संचालन.– प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवम् इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर पदाभिहित अधिकारी खाद्य निरीक्षकों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें उक्त अधिनियम को लागू करने एवं इसमें किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को समय–समय पर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त अधिनियम को प्रदेश में सूचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य व्यापार संचालकों को भी जागरूक किया जाए ताकि फूड सेफ्टी सटैण्डर्ड ऐक्ट, 2006 को सूचारु रूप से लागू किया जा सके तथा ज्यादा से ज्यादा उन्हीं खाद्य वस्तुओं के नमूने भरे जाएं जिन में अपमिश्रित होने का अन्देशा हो, नमूने के अपमिश्रित पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध मामला न्यायालय में दायर किया जाए तथा उन्हें न्यायाल्य से कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की सिफारिश की जाए।

प्रदेश में खाद्य व्यापार संचालकों की सुविधा के लिए ऑनलाईन लाईसैंस तथा पंजीकरण सुविधा प्रारम्भ की जा रही है, इस बारे सभी सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को हाल ही में हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षण संस्थान परिमहल में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के तत्वाधान में प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 व इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतू समय–समय पर सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी करवाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं इसके प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश में 2 अक्तूबर, 2012 से गुटका, खैनी, पान मसाला के विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा इसे सुनिश्चित भी किया जा रहा है।

प्रगति रिपोर्ट
वर्ष 2016–17 की प्रगति रिपोर्ट निम्नलिखित है:–

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1.	एकत्रित किए गए कुल नमूनों की संख्या	351
2.	जांच किए गए कुल नमूनों की संख्या	315
3.	फेल/मिसब्रांडिड पाए गए कुल नमूनों की संख्या	57
4.	दोषियों के विरूद्ध न्यायालय में दायर किए गए मामले	35
5.	सजायुक्त (कनविक्शन) मामले	23
6.	खाद्य व्यापार संचालकों की पंजीकरण संख्या	103011
7.	खाद्य व्यापार संचालकों की लाईसैंस संख्या	10248

10. औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम 1940 एवम् नियम 1945:–

औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम 1940 एवम् नियम_1945 भारत सरकार का अधिनियम है के प्रदेश से संबधित प्रावधान को अमल मे लाना **प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है इसके अतिरिक्त निम्न अधिनियमों की परिपालन भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है**

1. Drugs Price (Control Order) 2013 (National Pharmaceutical Prieing Authority)

2. Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisement Act 1948

औषधि नियंत्रक प्रशासन हेतू (1) औषधि नियंत्रक, (बददी) (3) सहायक औषधि नियंत्रक (नाहन, मण्डी व धर्मशाला) व (17) औषधि निरिक्षक सोलन (5) सिरमौर (2) शिमला (1) ऊना (1) कांगडा (3) बिलासपुर (1) मण्डी (1) कूल्लु (1) चम्बा (1) हमीरपुर सरकार द्वारा कार्यरत है। जिला किन्नौर को शिमला व लाहौल एवं स्पिति को कूल्लू के साथ कार्यान्वित किया गया है। प्रदेश में लगभग 700 औषधि एवं प्रसाघन सामग्री निर्माण इकाइयां है व लगभग 6000 प्रचून व थोक विक्रेता है।

औषधि का नशे के लिए दुरुप्रयोग रोकने हेतू विभाग द्वारा कडी कार्यवाही की गई है जिसके द्वारा कुछ दवाइया जैसे कि Ephedrine, Pseudoephadrine, Diphenoxylate & Buperinorphine का निर्माण प्रदेश मे रोक दिया गया है।

गत वर्षों मे विभाग द्वारा विशेष अभियान भी चलाए गए जिसके अंर्तगत की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार से है

क्रम. संख्या	विवरण	2015–16	2016–17
1	निरीक्षण	232	675
2	अवैधताएं	56	203
3	कब्ज मे किए गए मामले	33	152
4	प्रसाशनिक	11	05
5	निरीक्षण	54	237
7	अवैधताएं	0	0
8	न्यायाधीन मामले	118	

<u>प्रगति रिर्पोटः</u> वित्तीय वर्ष 2016–17 में की गई गतिविधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रम. संख्या	विवरण	2015–16	2016–17

1	एकत्रित किए गए कुल नमूनों की संख्या			1937	2020
2	जांच किए गए कुल नमूनों की संख्या			936	999
3	फेल/सबस्टैंडर्ड पाए गए कुल नमूनों की संख्या			24	36
4	स्पूरियस पाए गए कुल नमूनों की संख्या			0	05
5	दोषियों के विरूद्ध न्यायालय में दायर किए गए मामले			34	60
6	निरीक्षणः	अ	सेल संस्थान	2231	2165
		ब	निर्माण संस्थान	919	1052
7	न्यायालय में लम्बित मामले			223	272
8	लाईसेंस रदद	अ	सेल संस्थान	197	69
		ब	निर्माण संस्थान	24	06

11. एटॉमिक ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विकिरण संरक्षण नियम, 1971 :

प्रदेश में एटॉमिक उर्जा अधिनियम, के अर्न्तगत जो उपलब्धियां अमल में लाई गई उनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार हैः–

1 आज तक जिला शिमला के लगभग सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया है जो कि रेडियोलोजी विभाग की विस्तृत मशीनरी जैसे एक्सरे, सीटी सकैन, मैमोग्राफी, डैकसासकैन, दन्त एक्सरे मशिनो के पंजीकृत करने हेतु कार्यवाही अम्ल में लाने का प्रयत्न किया गया। जो कि अणु ऊर्जा सुरक्षा विनियम (विकिरण सुरक्षा नियम 2004) के तहत अति अनिवार्य है। दीन दयाल उपाध्याय शिमला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मशोबरा, असैनिक अस्पताल सुन्नी, असैनिक अस्पताल ठियोग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मतियाना, महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर खनेरी, असैनिक अस्पताल सराहन, असैनिक अस्पताल रोहडू, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिड़गांव (संदासु) असैनिक अस्पताल जुब्बल, असैनिक अस्पताल कोटखाई का निरीक्षण किया गया जहां पर कोई भी मशीने पंजीकृत नहीं करवाई गई है जिसके निर्देश मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी व ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई है।

2 जिला सोलन के लगभग सभी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया है जैसेः क्षेत्रिय अस्पताल सोलन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानपुर जिला सोलन, असैनिक स्वास्थ्य केन्द्र धर्मपुर टी0वी0 सैनिटोरियम धर्मपुर, ई0एस0आई0सी0 अस्पताल परवाणू, असैनिक अस्पताल अर्की, असैनिक अस्पताल कण्डाघाट, ई0एस0आई0सी0 औषधालय दाड़लाघाट इन संस्थानों पर भी मशीनों को पंजीकृत करने हेतु कार्यवाही अम्ल में लाने का निर्देश दिया गया।

3 पंजाब एवं हरियाणा सरकार की विकिरण सुरक्षा संस्थानों की स्थापना बारे विस्तृत जानकारी हासिल की गई जिसकी रिपोर्ट प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को सौंपी गई है।

12. निजी स्वास्थ्य संस्थानों के एम्पैनलमैंट बारेः

विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं0 एच0एफ0डब्ल्यू0–बी(एफ) 1–1–2008, दिनांक 21–6–2008 (पिछली सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में) तथा अधिसूचना सं0 एच0एफ0डब्ल्यू0–बी(एफ) 1–1–2008, दिनांक 21–6–2008 तथा अधिसूचना सं0 एच0एफ0डब्ल्यू0–बी(एफ) 8–1/2003(आई/एन), दिनांक 13–2–2013 के अंतर्गत हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पैंशपरों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निजी और सरकारी क्षेत्रों के भीतर व बाहर दोनों निजी अस्पतालों/ स्वास्थ्य संस्थानों/नैदानिक प्रयोगशालाओं को मान्यता हेतु नियम लागू किए गए हैं जिनके अनुसार विभाग द्वारा एम्पैनल किए गए स्वास्थ्य संस्थानों की अद्यतन सूची http/www.hp.gov.in/dhsrhp.nic.in पर उपलब्ध है।

इस वर्ष के दौरान प्रदेश के भीतर हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पैंशनरों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु 19 निजी अस्पतालों को मान्यता व 14 निजी अस्पतालों को नवीनीकरण दिया गया तथा प्रदेश से बाहर 3 निजी अस्पतालों को मान्यता व 8 निजी अस्पतालों को नवीनीकरण दिया गया तथा इन अस्पतालों से यह भी करार किया गया है कि ये अस्पताल हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पैंशपरों का ईलाज सी0जी0एच0एस0 द्वारा अनुमोदित कि गई दरों पर करेंगे । वर्ष 2016–17 के दौरान मु0 2,60,000/– की राशि निरिक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई जिसे सरकार के आदेशानुसार सरकारी कोष में जमा करा दिया गया है।

13. संयुक्त जांच प्रयोगशाला कण्डाघाटः–

संयुक्त जांच प्रयोगशाला की स्थापना अलग–अलग अधिनियमों के तहत एकत्रित किए गए नमूनों का आंकलन करने के लिए किया गया है। इस प्रयोगशाला को विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी विभागों के खाद्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधी निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान विभाग, पुलिस विभाग, स्टेट सिविल स्पलाईज इत्यादी द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों का आंकलन किया जाता है।

संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला कण्डाघाट के कर्मचारियों की स्थिति निम्नलिखित हैः–

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	पब्लिक ऐनालिस्ट–कम–कैमिकल एग्ज़ामिनर	1	0	1
2	डिप्टी पब्लिक ऐनालिस्ट	1	1	0
3	डिप्टी गवर्नमैंट ऐनालिस्ट	1	0	1
4	सीनियर सांइंटिस्ट	5	3	2
5	जूनियर सांइंटिस्ट	4	0	4
6	सीनियर ऐनालिस्ट	7	4	3
7	जूनियर ऐनालिस्ट	6	0	6
8	वरिष्ठ प्रयोगशाला टैक्निशियन	6	3	3
9	अधीक्षक ग्रेड–2	1	1	0
10	वरिष्ठ सहायक	5	5	0
11	क्लर्क	4	4	0
12	वाहन चालक	1	1	0
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	5	0

14	चौकीदार	2	1	1
15	सफाई कर्मचारी	3	2	1
16	पैकर	1	0	1
	कुल	53	30	23

14. कर्मचारी राज्य बीमा योजना :

परिचय.——भारत सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 को भारतवर्ष में लागू करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्व्यन हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की गई है। यह योजना पूरे भारतवर्ष में नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम व अरूणाचल प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में राज्य कर्मचारी बीमा निगम के माध्यम से चलाई जा रही है। यह एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों व उनके आश्रितों को समाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि मृत्यु, चोट, विकलांगता, व बीमारी के कारण इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सहायता प्रदान की जा सके तथा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का प्रत्यापन किया जा सके।

इस योजना के अन्तर्गत गैर उद्योगों में जहां पर दस से अधिक कामगार कार्यरत हों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना दुकानों, होटलों, रैस्तरां सिनेमा थियेटर, मोटर परिवहन उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों को भी लागू की गई है। इसके अतिरिक्त निजी स्वास्थ्य संस्थानों व शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी इस योजना के अर्न्तगत लाया जा रहा है।

लाभ :– इस योजना के अर्न्तगत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जा रहे हैं :–

(क) चिकित्सा लाभ
(ख) एस.बी. बीमारी लाभ
1. विस्तारित बीमारी लाभ इ.एस.वी.
2. जानलेवा लाभ
(ग) मातृत्व लाभ
(घ) विकलांगता लाभ
1. अस्थाई विकलांगता लाभ
2. स्थायी विकलांगता लाभ
3. (ई) आश्रितों को लाभ
4. (च) क्रिया कर्म एवं व्यय

ई0एस0आई0 योजना का एक दिलचस्प पहलु यह है कि योगदान कार्यकर्ताओं की मजदूरी की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भुगतान करने की क्षमता से सम्बन्धित है, जबकि उन्हें यह सामाजिक सुरक्षा लाभ बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार प्रदान किये जा रहे हैं। निगम द्वारा इस नगद लाभ का भुगतान कुछ अंशदायी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त अपने कार्यालयों/उप स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह स्कीम बीमाकृत कामगारों को कुछ और आवश्यक लाभ भी प्रदान करती है, जो निम्न हैं :–

1. व्यवसायिक पुनर्वास
2. भौतिक पुनर्वास
3. बेरोजगारी भत्ता (राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना)

योगदान :

यह योजना एक अंशदायी योजना है जिसके अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा कुल वेतन का 4.75 प्रतिशत अंशदान वहन किया जाता है तथा 1.75 अंशदान कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है। इस राशि का भुगतान संस्थानों द्वारा कर्मचारी बीमा निगम को किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार कर्मचारी बीमा निगम द्वारा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें मुख्यता निगम के अस्पतालों व सम्बद्ध अस्पतालों में निःशुल्क ईलाज किया जाता है। जिन क्षेत्रों में निगम के अस्पताल नहीं है वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान किया जा रहा है।

आय सीमा.––इस योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी कर्मचारियों को जिनकी आय 21 हजार या उससे कम है, को बीमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंपग व्यक्तियों के लिये अधिकतम आय सीमा मु0 25 हजार रुपये प्रतिमाह है।

वित्तीय सहायता.–– कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा राज्यों में इस योजना का कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्यों के सहयोग से किया जा रहा है। निगम द्वारा इस योजना में कुल व्यय का 7/8 हिस्सा राज्य सरकारों को दिया जा रहा है तथा राज्य सरकारें 1/8 हिस्सा वहन कर रही है।

हिमाचल प्रदेश में राज्य कर्मचारी बीमा योजना का कार्यान्वयन :

ई0एस0आई0 स्कीम हिमाचल प्रदेश में जून 1977 में शुरू हुई। इस स्कीम के अन्तर्गत उद्योगों में कार्यरत बीमाकृत व्यक्ति को राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं:–

1. स्वास्थ्य लाभ (Medical benefit)
2. बीमारी लाभ (Sickness benefit)
3. मातृत्व लाभ (Maternity benefit)
4. अपंगता लाभ (Disablement benefit)
5. आश्रित लाभ (Dependent benefit)

दूसरे लाभ जैसे कि दाह संस्कार खर्चे, प्रसूति खर्चे इत्यादि।

प्रदेश में वर्तमान में बीमाकृत कर्मचारियों की संख्या 2,74,089 है जिन्हें विभाग द्वारा ई0एस0आई चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में इस समय एक ई0एस0आई चिकित्सालय व ग्यारह औषधालय चिकित्सा संस्थान कार्यरत हैं, जिनका जिलावार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रम सं0	जिला	चिकित्सालय	औषधालय
1.	शिमला	.....	शिमला, शोघी

2.	सिरमौर	.....	क) काला अम्ब, ख) मालवा कॉटन मिल पाँवटा साहिब ग) गोंदपुर (पाँवटा) साहिब
3.	सोलन	परवाणु	च) चम्बाघाट छ) बद्दी ज) बरोटीवाला झ) नालागढ़ न) जाबली (प) दाड़लाघाट
4.	ऊना	.....	क) मैहतपुर ख) टाहलीवाल
5.	बिलासपुर		क) पंजगाई
6.	कांगड़ा		क) संसारपुर टैरेस

इसके अतिरिक्त बिमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सोसाईटी द्वारा अस्पताल विभिन्न स्थानों पर empanel किए गए है ताकि लाभार्थी को इस योजना के अर्न्तगत Secondary Care उपलब्ध करवाए जा सके।

ई0एस0आई योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य अंशदान के रूप में 1/8 हिस्सा वहन किया जा रहा है तथा 7/8 हिस्सा राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा वहन किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अर्न्तगत वार्षिक प्रति कर्मचारी राशि 2150 रुपये चिकित्सा हित लाभ के लिए निर्धारित की है जिसमें से 1075 रुपये वेतन, लेखन सामग्री, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय (स्टाफ) के लिए व 1075 रुपये दवाइयों की खरीद, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल, उपकरण का रख–रखाव व चिकित्सा अग्रिम राशि का प्रावधान राज्य बीमा निगम ने किया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मई 2008 में बद्दी में मॉडल अस्पताल आरम्भ किया है जिसका सारा व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम वहन कर रही है। राज्य में 1–04–2010 से ई0एस0आई0 सोसाईटी का गठन किया गया है जिसमें ई0एस0आई0 संस्थानों में होने वाले सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने व बीमित व्यक्तियों को हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सोसाईटी द्वारा ई0एस0आई0 संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग से Secondment आधार पर लिया गया है तथा समस्त प्रशासनिक व वित्तीय मामले मुख्य कार्यकारी अधिकारी व निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन द्वारा निपटाए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त बीमाकृत कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति, दवाईयों की खरीद व चिकित्सा अग्रिम राशि का भुगतान निगम द्वारा अपने स्तर पर (Revolving Fund) में से किया जा रहा है।

प्रदेश में ई0एस0आई0 सोसाईटी के गठन के पश्चात् बीमित कर्मचारियों के हित में अनेक निर्णय लिये गए हैं। ई0एस0आई0 संस्थानों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिये गवर्निंग बॉडी द्वारा पैरा मैडिकल स्टाफ के पद भरने का निर्णय लिया गया था, पैरा मैडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिये निविदाएं आमंत्रित की तथा आउट सोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की कमी को पूरा किया गया है ताकि बीमित कर्मचारियों को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

विगत में ई0एस0आई0 संस्थानों में लिपिकीय कार्य करने हेतु समुचित प्रबन्ध न होने के कारण बीमित कर्मचारियों को हित लाभ प्रदान करने में विलम्ब हो रहा था इसके दृष्टिगत सोसाईटी द्वारा प्रत्येक संस्थान में आउट सोर्सिंग आधार पर डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर–कम–क्लर्क उपलब्ध करवाये गये हैं ई0एस0आई0 योजना प्रदेश में मुख्यतः चार जिलों में चलाई जा रही है परन्तु कई स्थानों पर इन संस्थानों के भवन जर्जर अवस्था में हैं। सोसाईटी द्वारा इस हेतु चम्बाघाट जिला सोलन में उद्योग विभाग से भूमि लीज़ पर ली गई है तथा भवन निर्माण किया गया है। सोसाईटी द्वारा बिमित व्यक्तियों को चार रोगी वाहन उपलब्ध करवाए गए है । जिनमें से एक ई0एस0आई अस्पताल परवाणु, बददी, पावंटा साहिब, कालाअम्ब में उपलब्ध है। ताकि बिमित व्यक्तियों को रेंफर करने के उपरांत अन्य अस्पतालों में ले जाया सके।